41–(08)–46–2018

पटना में दिनांक–26 जून, 2018 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पथ निर्माण विभाग

1. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत दानापुर–खगौल पथ के कि०मी० 0.0 से 4.05 तक (कुल लंबाई 4.05 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, Culvert एवं RCC ड्रेन कार्य हेतु (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/78) कुल ₹5787.00 लाख (सनतावन करोड़ सतासी लाख) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा राज्य के अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालयों में Court Case Management System लागू करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अधीन पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त लेखा पदाधिकारी का 01 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अधीन राजपत्रित /अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 75 (पचहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

5. अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए "विशेष केन्द्रीय सहायता" के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 30.00 करोड़ रूपये (तीस करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. सिविल रिट सं०–1022/1989 में दायर आई०ए० सं०–339/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–14.07.2016 के आलोक में दिनांक–01.01.96 के बाद एवं दिनांक–01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

8. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–212 (दो सौ बारह) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029 दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415 दिनांक–20.12.12 को शिथिल करते हुए दिनांक–01.06.2018 से 31.05.2019 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

9. बिहार राज्य में कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 33626.61 लाख (तीन सौ छत्तीस करोड़ छब्बीस लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

10. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० सं० 7139/2008 श्री शिव कुमार तिवारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.05.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनके 60 वर्ष की उम्र तक सेवा अवधि मानते हुए नियमानुसार वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

11. मे० सा विष्णु बेकर्स प्रा० लि०, कोलकता द्वारा चिलिम, शेरघाटी, गया में 3000 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का पोटैटो चिप्स/टकाटक, नमकीन आदि के उत्पादन की इकाई के स्थापना हेतु कुल रू० 3329.55 लाख (तैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार रूपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

12. वर्ष 2014, 2015 एवं 2017 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों/संरचनाओं/बराजों इत्यादि एवं क्षतिग्रस्त नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन तथा क्षतिग्रस्त जमीदारी बाँधों का खाड़ भराई, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹275.00 करोड़ (दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

13. वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 6000.00 लाख (साठ करोड़) रू० एवं आकस्मिक फसल योजना के लिए 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये, कुल 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) रू० की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के साथ धान, गेहूँ, मक्का, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 35 (पैंतीस) रू० को बढ़ाकर 37 (सैंतीस) रू० करने हेतु अनुदान दर में बढ़ोतरी की स्वीकृति।

13. **प्रति एक लीटर डीजल के क्रय पर 35 (पैंतीस) रूपये को बढ़ाकर 40 (चालीस) रूपये की स्वीकृति के निर्णय के साथ शेष विभागीय प्रस्ताव स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

14. बिहार तकनीकी सेवा (संशोधन) नियमावली–2018 के गठन के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

15. अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने तथा इस योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 163.32 करोड़ (एक अरब तिरसठ करोड़ बत्तीस लाख) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 में 133.32 करोड़ (एक अरब तैतीस करोड़ बत्तीस लाख) रूपये कुल 296.64 करोड़ (दो अरब छियानवे करोड़ चौसठ लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति।

15. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

16. रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय, डिहरी के स्थायीकरण एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित) एक पद स्थायीकरण किये जाने के संबंध में प्रस्ताव।

16. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

17. बिहार राज्य के सात नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 7 (सात) पूर्णकालिक सचिव के पदों का ₹1,07,36,292/–(एक करोड़ सात लाख छत्तीस हजार दो सौ बेरानबे रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति।

17. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

18. संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन वर्त्तमान में कार्यरत/नियोजित कुल 74 (चौहत्तर) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का पूर्व पुर्ननियोजन अवधि समाप्ति की अगली तिथि दिनांक–07.02.2018 के प्रभाव से अगले एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

19. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि 3846 लाख (अड़तीस करोड़ छियालीस लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति। 19. **स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

20. जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित्त भवन निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल व्यय रू० 4372.66 लाख (तैतालीस करोड़ बहत्तर लाख छियासठ हजार) की स्वीकृति के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

21. वर्ष 2011–12 में जल संसाधन विभाग द्वारा चयनित पथ निर्माण विभाग को सौंपे गये संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (याँत्रिक) में से वैसे 27 (सताईस) कनीय अभियंता (याँत्रिक) जिनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा आरोप नहीं है, का जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

22. परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई में स्थापना मद एवं आकस्मिकता व्यय की राशि का पुनर्निर्धारण के संबंध में। 22. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

23. दीघा–पटना रेलवे लाइन की 71.2533 एकड़ भूमि, जो पटना स्थित मौजा–दीघा, मैनपुरा, राजापुर, ढकनपुरा, यारपुर तथा मीठापुर में अवस्थित है, पर 4/6 लेन सड़क के निर्माण हेतु रेलवे को ₹22219.52155 लाख (दो सौ बाइस करोड़ उन्नीस लाख बावन हजार एक सौ पचपन मात्र) भुगतान के आधार पर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्तान्तरण प्राप्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**